

राज्यादेश सं० – मं०मं०–०६/बजट (योजना आवंटन)–६८/२०१५।५३ पटना–१५, दि० १४/५/१५ १५

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना

विषय – मांग संख्या–०४ के मुख्य शीर्ष–२०५३–जिला प्रशासन–राज्य योजना–०९३–जिला स्थापनाएँ–०१०६ – “२० सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैर सरकारी सदस्यों का कार्यालय” के अन्तर्गत जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों के लिए वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में रु० १,००,००,०००/- रूपये (एक करोड़ रूपये) के व्यय की स्वीकृति।

आदेश -- स्वीकृत।

०२. उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि विभागीय संकल्प सं०–९९४, दिनांक–१६.११.२००९ द्वारा पूर्व में गठित जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को अवक्रमित करते हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है तथा ‘संकल्प सं०–३३५, दिनांक–२४.०७.२०१३ द्वारा समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा’, को ‘समिति के मनोनित/नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा’, से प्रतिस्थापित किया गया है। विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के सभी जिला स्तरीय कार्यकारिणी समितियों में नामित सदस्यों को अगले आदेश तक पुनः अधिकतम तीन वर्षों के लिए मनोनित किया गया है। इसी प्रकार विभागीय संकल्प सं०–९९३, दिनांक–१६.११.२००९ द्वारा पूर्व से गठित प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समितियों को अवक्रमित करते हुए पुनर्गठित किया गया है। पूर्व में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा राज्य के सभी प्रखंड स्तरीय कार्यकारिणी समितियों में नामित सदस्यों को अगले आदेश तक पुनः अधिकतम तीन वर्षों के लिए मनोनित किया गया है।

०३. उक्त योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष २०१४–१५ में राज्यादेश सं–९१, दिनांक–०७.०५.२०१४ द्वारा रु० ८०.०० लाख (अस्सी लाख रूपये) एवं राज्यादेश सं०–८७३, दिनांक–२५.०२.२०१५ द्वारा २०,००,०००/- (बीस लाख रूपये) कुल १,००,००,०००/- (एक करोड़ रूपये) की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

०४. राज्य सरकार ने उक्त योजना के संचालन हेतु गैर सरकारी सदस्यों के मानदेय एवं अन्य मदों पर वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में कुल रु० १,००,००,०००/- (एक करोड़ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की है।

०५. उक्त राशि योजना बजट के मुख्य शीर्ष–२०५३–जिला प्रशासन–राज्य योजना–०९३–जिला स्थापनाएँ–०१०६–“२० सूत्री कार्यक्रम हेतु जिला प्रशासन को गैरसरकारी सदस्यों का कार्यालय से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–P2053000930106 है।

०६. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला स्तरीय समिति के लिए संबंधित उपविकास आयुक्त तथा प्रखंड स्तरीय समिति के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे।

०७. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, बिहार/उपकोषागार, बिहार से की जायेगी।

०८. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष २०१५–१६ में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

०९. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी रहेंगे एवं सभी उपविकास आयुक्त, बिहार इस योजना से संबंधित खर्च का मासिक व्यय प्रतिवेदन, प्रत्यर्पण प्रतिवेदन, बजट प्राक्कलन एवं अन्य दूसरे प्रतिवेदन प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को भेजेंगे। व्यय के बाद शेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन निश्चित रूप से ३१.०३.२०१६ के पूर्व भेज देंगे। विलंब से प्रत्यर्पण प्रतिवेदन प्राप्त होने की स्थिति में जवाबदेही संबंधित उपविकास आयुक्त एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी।

10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या—९६/वि०(२) दिनांक—३०.०१.२००८ के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोंपरान्त निर्गत किया जाता है। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन सचिका संख्या—मं०मं०—०१/बजट (योजना आवंटन)–६८/२०१५ के पृष्ठ सं०—०२/टिं० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभाग के पत्रांक—७३५५/वि०(२) दिनांक—०५.१०.२००७ के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

~~मं०मं०—०६/१०.५.१५~~

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

~~मं०मं०~~

ज्ञापांक — मं०मं०—०६/बजट (योजना आवंटन)–६८/२०१५ ..... १०३ ..... पटना—१५, दि० १४/५/ २०१५

प्रतिलिपि — वित्त विभाग (बजट शाखा)/अर्थोपाय शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~मं०मं०—०६/१०.५.१५~~

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

~~मं०मं०~~

ज्ञापांक — मं०मं०—०६/बजट (योजना आवंटन)–६८/२०१५ ..... १०३ ..... पटना—१५, दि० १४/५/ २०१५

प्रतिलिपि — सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~मं०मं०—०६/१०.५.१५~~

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

~~मं०मं०~~